दिनांक–09.09.2024 (सोमवार) को माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय समिति की 13वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थितिः– बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम	समिति में धारित पद	उपस्थिति
01.	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	उपस्थित
02.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।	उपाध्यक्ष	अनुपस्थित
03.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
04.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	उपस्थित
05.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	उपस्थित
06.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	उपस्थित
07.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	विशेष आमंत्रित	उपस्थित
08.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
09.	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
10.	श्री मुरलीधर कोटवार, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
11.	श्री धर्मराज सिंह, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्, नेतरहाट विद्यालय समिति।	सदस्य	उपस्थित
12.	प्रो. बैद्यनाथ लाभ, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	अनुपस्थित
13.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
14.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02. <u>कार्यसूची की मद संख्या-01</u> :

निर्णयः- दिनांक-03.11.2022 को संपन्न हुई सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति की **12वीं बैठक की कार्यवाही** को सर्वसम्मति से संपुष्ट की गई।

03. <u>कार्यसूची की मद संख्या-02</u> :

निर्णयः- विगत् बैठक में लिए गए निर्णय के कृत्य अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया, तद्नुसार पूर्व बैठक के निर्णयानुसार किये गये कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

(क) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक :04</u> - पूर्व बैठक के निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, लातेहार को पूर्व योजनाओं के प्रसंग में कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित अंतिम विपत्र की राशि रू. 2,11,49,000.00 (दो करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार रू.) मात्र का भुगतान विभागीय सहायता अनुदान योजना मद की राशि से की गई। भुगतान की गई राशि की घटनोत्तर संपुष्टि प्रदान की गई, साथ ही प्राचार्य- सह-सदस्य सचिव को निदेश दिया गया कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रसांगिक मद में तत्कालीन प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा कुल रू. 3,36,05,140.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख पाँच हजार एक सौ चालीस रू) मात्र की राशि अधियाचना की गई थी, जैसा कि 12वीं बैठक में वर्णित है, परंतु कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित विपत्र की राशि कम उल्लेख की गई थी। अतएव, शेष राशि का उपयोग आश्रमों, भवनों के प्रसंग में ही किये जायें।

04. <u>कार्यसूची की मद संख्या-03</u> : छात्रों के शैक्षणिक उन्नयन एवं मूल्यांकन हेतु Self Appraisal Report के प्रारूप का अनुमोदन।

निर्णयः- कोई निर्णय नहीं।

05. <u>कार्यसूची की मद संख्या-04</u> : नव-जीर्णोद्धार हुए कक्षावर्गों में Digital Class board को ध्यान में रखते हुए Integrated Flat Panel के अधिष्ठापन पर विचार-विमर्श।

निर्णयः- शिक्षा में तकनीक का उपयोग एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु नव-जीर्णोद्धार हुए कक्षा-वर्गों में तत्काल 06 IFP क्रय एवं अधिष्ठापित कराये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सभी वित्तीय नियमों/निदेशों के आलोक में क्रय के पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा विद्यालयों में संचालित Smart Classes एवं अन्य उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में संचालित IFPB के Specification/Product का अध्ययन कर लिया जाय

एवं वर्त्तमान परिदृश्य में अत्यंत प्रसांगिक तकनीकों, विशिष्टताओं वाले IFPB का ही क्रय किया जाय। एतदर्थ का क्रय विद्यालय को प्रदत्त सहायता अनुदान की राशि से किये जाने का निदेश दिया गया।

06. <u>कार्यसूची की मद संख्या–05</u> : शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल में विकास हेतु In Service Training की व्यवस्था पर विचार–विमर्श।

निर्णयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया गया कि समय–समय पर शिक्षकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण आवश्यक है। चूँकि सरकार के स्तर से भी अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। अतएव, नेतरहाट विद्यालय में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विस्तृत रूप रेखा बनाये जाने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव विभाग से समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन हेतु समुचित कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

07. <u>कार्यसूची की मद संख्या–06</u> : 10th के बाद छात्रों को तकनीकी शिक्षा यथाः मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में प्रवेश हेतु बाह्य स्तर के कोचिंग की व्यवस्था पर विचार–विमर्श।

निर्णयः– दसवीं कक्षा के बाद छात्रों को प्रत्येक विषय में अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए बैठक में उपस्थित प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाय, ताकि छात्रों को बेहतर कक्षाएँ मुहैया करायी जा सके।

08. <u>कार्यसूची की मद संख्या–07</u> : आश्रमाध्यक्ष भत्ता एवं पाकशाला प्रभारी के मासिक मानदेय में हुए वृद्धि की घटनोत्तर सम्पुष्टि।

निर्णयः– आश्रमाध्यक्ष भत्ता एवं पाकशाला प्रभारी के मासिक मानदेय में कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के स्तर से किये गये वृद्धि की संपुष्टि के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि पुनः इसकी समीक्षा कार्यकारिणी समिति से करवाते हुए सामान्य निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय, ताकि नियमानुसार इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

09. <u>कार्यसूची की मद संख्या–08</u> : समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार–विमर्श।

निर्णयः– अगली बैठक में वांछित सूचनाओं के साथ उपस्थापित किया जाय।

10. **<u>कार्यसूची की मद संख्या–09 :</u> वित्तीय वर्ष 2022–23 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय को प्राप्त योजना मद की राशि को उसी मद में व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।**

निर्णयः– विद्यालय के मुख्य भवन एवं कक्षावर्गो का चल रहे जीर्णोद्धार कार्यो के लिए विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि प्रसांगिक मद की राशि विद्यालय को समिति के नवगठन के पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी। राशि प्राप्त होने के आठ माह के पश्चात् समिति का गठन हुआ। तत्पश्चात् योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं योजना का कार्यान्वियन अगस्त, 2023 माह से प्रारंभ हुआ। चूँकि योजना वर्त्तमान में चल रही है; अतएव, निर्णय लिया गया कि संचित राशि के प्रयोग हेतु वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर लिया जाय, ताकि नियमानुसार एवं ससमय राशि की विमुक्ति भवन निर्माण विभाग को किया जा सके।

11. **<u>कार्यसूची की मद संख्या–10 :</u> तृतीय वर्गीय कर्मियों के तीन प्रोन्नत आधारित पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श।**

निर्णयः– प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निदेश दिया गया कि एतदर्थ प्रस्ताव पर समुचित निर्देश कार्यकारिणी समिति के स्तर से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

12. **कार्यसूची की मद संख्या–11: नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु 25% Open to All करने पर विचार–विमर्श।**

निर्णयः– फिलहाल कोई निर्णय नहीं।

13. **<u>कार्यसूची की मद संख्या–12 :</u> नेतरहाट विद्यालय समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान किये जाने पर विचार–विमर्श।**

निर्णयः– यह मामला वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। वित्त विभाग की सहमति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया।

14. **<u>कार्यसूची की मद संख्या–13 :</u> विद्यालय के भू–सीमांकन पर आवश्यक विचार–विमर्श।**

निर्णयः– प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय के स्थापनाकाल में नेतरहाट आवासीय विद्यालय को कुल 460.00 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी (तत्कालीन उपायुक्त, मेदिनीनगर, पलामू के कार्यालय पत्रांक–05, दिनांक–12.11.55 के

अनुसार)। कालक्रम में लातेहार जिला के हुए RS में पर्याप्त त्रुटियों के कारण महुआडाँड़ अंचल के द्वारा मात्र 147.00 एकड़ भूमि ही विद्यालय के नाम से अंकित की गई है। प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि ऐसे प्लॉट जिनका पूर्व में मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, परंतु फिर भी नये सर्वे में इसका दूसरे के नाम से रसीद काटा जा रहा है। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि विद्यालय के पीछे एक भू-खण्ड जो पुराने अभिलेख के अनुसार विद्यालय के है; उसे अन्य व्यक्तियों के नाम से रसीद काटा जा रहा है, जिसपर अनुमंडल दण्डाधिकारी, महुआडाँड़ द्वारा धारा-144 भी लगाया गया है परंतु फिर भी निर्माण कार्य संचालित है। इस प्रकार के त्रुटियों के कारण विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित उप-विकास आयुक्त, लातेहार को निदेश दिया गया कि अविलंब एक टीम गठित कर इसका निराकरण करवा लिया जाय। साथ ही अंचलाधिकारी, महुआडाँड़ को निदेश दिया जाय कि सरकारी अमीन एवं विद्यालय अमीन की सहायता से विद्यालय की भूमि को संरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

15. <u>कार्यसूची की मद संख्या-14 :</u> कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति में पूर्ववर्त्ती छात्र के एक रिक्त पद तथा पूर्व शिक्षक के एक रिक्त पद पर सदस्य मनोनयन पर विचार-विमर्श।

निर्णयः- कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री प्रदीप कुमार एवं डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद द्वारा समिति से दिए गए त्यागपत्र को माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। तद्नुसार पूर्ववर्ती छात्र के एक पद एवं पूर्व शिक्षक के एक पद पर पुनः सदस्यों के मनोनयन हेतु प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि इस निमित्त कम से कम चार राष्ट्रीय समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा, इत्यादि सेवा से योग्य एवं अनुभवी सदस्य सम्मिलित हो सकें तथा जो स्वेच्छा एवं निष्ठा से विद्यालय के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। चूँकि वर्त्तमान समिति का कार्यकाल लगभग 01 वर्ष ही शेष है, अतएव शेष अवधि के लिए ही विज्ञप्ति का प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया।

16. <u>कार्यसूची की मद संख्या-15 :</u> समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में विचार-विमर्श।

निर्णयः- वर्त्तमान में सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची के सुसंगत संकल्पों के आधार पर की जाती है। उक्त के समरूप स्वास्थ्य विभाग द्वारा

निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नेतरहाट विद्यालय के कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रस्ताव नेतरहाट विद्यालय समिति के स्तर से गठित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग, झारखंड, राँची से परामर्श प्राप्त कर विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

17. कार्यसूची की मद संख्या-16 : माननीय सभापति कार्यकारिणी समिति को सामान्य निकाय की सदस्यता की स्वीकृति।

निर्णयः- फिलहाल कोई निर्णय नहीं।

18. कार्यसूची की मद संख्या-17 : वित्तीय वर्ष 2023-24 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की सम्पुष्टि।

निर्णयः- वित्तीय वर्ष, 2023-24 के लेखा पुस्तकों के वैधानिक अंकेक्षण के क्रम में M/s J.N Mittal & Co. (C.A firm) द्वारा दिये गए अंकेक्षण प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई। साथ ही प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि अंकेक्षक द्वारा दिये गए Observation को प्राथमिकता देते हुए अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्राथमिकता के साथ लेते हुए सभी कर्मियों के कार्य-दायित्वों का स्पष्ट निरुपण विद्यालय आदेशांक-1609, दिनांक-01.07.2024 के माध्यम से कर दिया गया है। तद्नुसार एतदर्थ की संपुष्टि सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रदान की गई।

19. कार्यसूची की मद संख्या-18 : विद्यालय परिसर के मरम्मती एवं रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अधिसीमा के कार्यों की समिति स्तर से कराये जाने के संबंध में विचार-विमर्श।

निर्णयः- इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल अथवा जे.ई.पी.सी. के अधीन कार्यरत कार्यपालक अभियंता से कराया जा सकता है।

20. कार्यसूची की मद संख्या-19 : आश्रमों एवं विद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु बाह्य स्त्रोत से 12 सुरक्षा प्रहरी की सेवा लेने पर विचार-विमर्श।

निर्णयः- छात्रों एवं विद्यालय परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल 12 सुरक्षा प्रहरी बाह्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सेवा पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सुरक्षा एजेंसियों को सेवा शुल्क का भुगतान विद्यालय को

प्रदत्त गैर योजना सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन मद) के ''व्यवसायिक सेवाएँ'' मद से किये जाने का निदेश दिया गया।

21. <u>कार्यसूची की मद संख्या–20:</u> छात्रों द्वारा विद्यालय से बाहर होने वाले पाठ्य सहगामी–सह–शैक्षिक क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति पर विचार–विमर्श।

निर्णयः– छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय से बाहर होने वाले पाठ्य सहगामी सह शैक्षणिक क्रियाओं यथा अंतर्विद्यालय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अगर छात्र भाग लेते हैं, तो इनके पंजीयन एवं संबंधित व्ययों का भुगतान विद्यालय के **'कार्यालय व्यय मद'** से नियमानुकूल किये जायेंगे

सधन्यवाद! माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

09/08/2024
(संतोष कुमार)
प्राचार्य,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
सह–सदस्य सचिव,
सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति

09/09/24
(उमा शंकर सिंह)
प्रभारी सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग,
झारखण्ड, राँची।

9/9/24
(बैद्यनाथ राम)
मंत्री,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, झारखण्ड सरकार
सह–अध्यक्ष, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति

पत्रांक—13 / ने.06—01 / 2024 2581/(i)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

E-mail-dirsecednjhk@rediffmail.com/ dirsecednjhk@gmail.com

प्रेषक,

कुँवर सिंह पाहन,
संयुक्त सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।

राँची, दिनांक 09/09/2024

विषयः— समान्य निकाय नेतरहाट विद्यालय, समिति की 13वीं बैठक की कार्यवाई भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक—09.09.2024 को सम्पन्न नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय समिति की 13वीं बैठक की कार्यावाही पर विभागीय मंत्री एवं प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के हस्ताक्षर उपरान्त अग्रत्तर कार्रवाई के निमित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन,

9/9/24

(कुँवर सिंह पाहन)
संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, राँची।

E:\Sapna/DRAFTS RECENT

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची-834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

सामान्य निकाय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक-09.09.2024 को आहूत 13वीं बैठक की उपस्थितिः

क्र.सं.	नाम	सामान्य निकाय में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री बैद्यनाथ राम, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	[signature] 9/9/24
2.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।	उपाध्यक्ष	
3.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	[signature] 09/09/24
4.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	[signature] 09/09/24
5.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	for [signature] 09.09.24
6.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	for [signature] 9/9/24 (DDC, Latehar)
7.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	[signature] 09/09/2024
8.	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	G Prasad 9/9/24

9.	श्री मुरलीधर कोटवार, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	[signature] 9/9/24
10.	श्री धर्मराज सिहं, रष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्, नेतरहाट विद्यालय समिति।	सदस्य	[signature] 9/9/24
11.	प्रो. बैद्यनाथ लाभ, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	
12.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	Ashish Alok 09/09/24
13.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	प्राचार्य सह–सदस्य सचिव	[signature] 09/09/24
14.	श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति।	(विशेष आमंत्रित)	Santosh 09-9-24
15.	Director Secondary Education		[signature] 09/09
16.			